

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272594
SG-DL-E-15052026-272594असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]	दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 43
No. 129]	DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948	[N. C. T. D. No. 43

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 12 मई, 2026

फा. सं. 2(6)/06/डीसी/प्रव0/पार्ट0फा0/खंड-II/159.—औषधि नियमावली, 1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पठित नियम 50 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की दिनांक 17.01.2023 की अधिसूचना फा0 सं0 2(6)/06/डीसी/प्रव0/पार्ट0फा0/खंड-II 281-286 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री राजीव भार्गव, उप-नियंत्रक औषधि, दिल्ली को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए तत्काल प्रभाव से उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सी. एल. रॉय, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th May, 2026

F. No. 2(6)/06/DC/Enft./Pt.file/ Vol-II/159.—In exercise of the power conferred by Sub –Rule (2) of Rule 50 read with clause (i) of Rule 2 of the Drugs Rules, 1945, and in supersession of this department's notification F. No. 2(6)/06/DC/Enft./Pt. File/Vol-II/281-286 dated 17.01.2023, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Rajeev Bhargava, Deputy Drugs Controller Delhi as the Controlling Authority for the purpose of the said Rules for the entire National Capital Territory of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in The Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

C. L. ROY, Dy. Secy.